The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970

Act 2 of 1971

Keyword(s):
Electricity Duty, Energy, Licence, Board, Consumer

Amendments appended: 10 of 1972, 11 of 1985, 13 of 1987

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.A. 15/71.2
cop. 2

135451

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (डियूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 2 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 4 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (डियूटी) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे ।

अधिनियम संख्या 33, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खंड (एच) के भाग (ii) को निकाल दिया जाय ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 10 जुलाई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।)

Price 10 Paise

धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लगाया जाना

"3—(1) आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए :

(क) किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) किसी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक या आवासिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने वाले भू-गृहादि में, अथवा किसी अन्य भू-गृहादि में, अपने वर्क्स के निर्माण, बनाये रखने या चलाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपभुक्त एनर्जी, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत् जनन के अपने स्रोत से उपभुक्त एनर्जी, पर एक ड्यूटी (जिसे आगे "एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी" कहा गया है) लगायी जायगी और जिसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा और जो ऐसी दर या दरों पर निर्धारित की जायगी जिसे राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और ऐसी दर या तो चार्ज की दर के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या प्रति यूनिट निर्दिष्ट धनराशि के रूप में निश्चित की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध म, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की दर के पचीस प्रतिशत से अधिक न होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में, यदि इकाई मूल्य प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक हो तो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जा सकेगी और न ही इकाई मूल्य के साथ जोड़ देने पर वह कुल मिलाकर प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक होगी, तथा इसके अधीन रहते हुए, यह ड्यूटी एक पैसे से कम या प्रति यूनिट छः पैसे से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपभुक्त अथवा उसके या अपने भागीदारों, निदेशकों, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर सम्भरित एनर्जी, यथास्थिति, लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को, उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में लागू दरों पर बेची गयी एनर्जी समझी जायगी।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के सम्बन्ध में, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या छः पैसे से अधिक न होगी।

(4) राज्य सरकार, लोक हित में, किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्भरण के लिए वर्तमान मूल्यों को, किसी संयंत्र की विद्युत् जनन क्षमता को औद्योगिक उत्पादन की सामान्यतया अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को, और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुये, या तो एनर्जी के विभिन्न वर्गों के उपभोग के सम्बन्ध में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विभिन्न दरें निश्चित् कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है।

(5) निम्नलिखित पर कोई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जायगी।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी, या

(ग) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी,

(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural purposes) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जायं तथा सिंचाई के लिए पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपभोग के लिए अन्य क्रिया करना (crushing, milling and treating) या चारा काटना।

धारा 3-क का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3-क निकाल दी जाय।

धारा 4 के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा 4, 4-क और 4-ख रख दी जायें, अर्थात् :—

"4—(1) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, राज्य सरकार को निम्नलिखित के द्वारा दी जायगी :—

(क) जब एनर्जी लाइसेन्सी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो लाइसेन्सी द्वारा ;

(ख) जब एनर्जी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्भरित की जाय अथवा बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा; और

(ग) जब एनर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ही विद्युत् जनन स्रोत से उपभुक्त की जाय, तो ऐसी एनर्जी जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ।

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उसके ब्याज का भुगतान

(2) यदि उपर्युक्त के अनुसार नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि का भुगतान न किया जाय तो, यथास्थिति, लाइसेन्सी, बोर्ड या उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, उस एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर जिसका भुगतान न किया गया हो, अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तब तक ब्याज का देनदार होगा जब तक कि उसका भुगतान न कर दिया जाय ।

उपभोक्ताओं से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति

4—क(1) किसी लाइसेन्सी, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी पर धारा 3 के अधीन देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि, यथास्थिति, लाइसेन्सी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है ।

(2) उपभोक्ता से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि वसूल करने के उद्देश्य से, यथास्थिति, लाइसेन्सी या नियुक्त प्राधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्सी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है मानो कि उक्त ड्यूटी ऐसे उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी के सम्बन्ध में चार्ज अथवा देय धनराशि हो ।

ऐक्ट संख्या 9, 1910

कतिपय दशाओं में दण्ड, शुल्क का भुगतान किया जायगा

4—ख(1) यदि तदर्थ नियत किसी प्राधिकारी की राय में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए देनदार लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ड्यूटी देने से छलपूर्वक बचता है अथवा बचने का प्रयास करता है, चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियों को प्रस्तुत करके, सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी को छिपाकर, अथवा किसी अन्य उपाय से करता हो, तो, यथास्थिति, लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, उक्त ड्यूटी के अतिरिक्त दन्ड के रूप में ऐसी ड्यूटी की, जिसे छलपूर्वक बचाया गया हो अथवा जिसे बचाने का प्रयास किया गया हो, धनराशि के चार गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो उक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्सी, बोर्ड या ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही न की जायगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायं, की जायगी ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का कार्यान्वित किया जाना पूर्णतः या अंशतः और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।"

धारा 5 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(1) उपधारा (1) में,—

(क) प्रथम पैरा में शब्द "नियुक्त प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द "अथवा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए देनदार अन्य व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं ;

(ख) खण्ड (क) में शब्द "उपभोक्ता को देने के लिये" के स्थान पर, शब्द "पारेषण या पूर्ति करने के लिए" रख दिये जायें ;

(ग) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् ,—

"(ग) प्रत्येक श्रेणी के उपभोग पर अलग-अलग देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि और धारा 4-क के अधीन वसूल की गयी धनराशि" ; और

(घ) खण्ड (ग-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्,—

"(ग-क) धारा 4 के अधीन देय ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, और धारा 4-ख के अधीन अवधारित दण्ड शुल्क की धनराशि, यदि कोई

(2) उपधारा (2) में "शब्द प्रत्येक लाइसेन्सी अथवा नियुक्त प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" रख दिये जायें और शब्द "ऐसे आकार और रीति में" के पश्चात् कामा तथा शब्द "ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी अवधि के भीतर" रख दिये जायें ।

धारा 7 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् ,—

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि की वसूली

"(1) यदि धारा 3, धारा 4, या धारा 4-ख के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या ब्याज अथवा दण्ड शुल्क के मद्दे देय कोई धनराशि नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को अदा न कर दी गयी हो तो वह मालगुजारी की बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल की जा सकेगी:—

(क) लाइसेन्सी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में—लाइसेन्सी से;

(ख) बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में—बोर्ड से; और

(ग) एनर्जी जनन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त एनर्जी की दशा में उस व्यक्ति से जो इस अधिनियम के अधीन उक्त ड्यूटी का देनदार हो ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार—

(क) किसी लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट सकती है जो राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्सी या बोर्ड को देय हो, या

(ख) किसी लाइसेन्सी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट ले जो उसके द्वारा लाइसेन्सी को देय हो और इस प्रकार काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को दे दे ।"

धारा 8 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 8 की संख्या बदल कर उसे उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् ,—

"(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 में उल्लिखित कोई ऐसा अभिलेख रखता है या कोई ऐसा नक्शा प्रस्तुत करता है, जिसके सम्बन्ध में उसे यह जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी सारवान विवरण में मिथ्या है अथवा सत्य नहीं है, तो वह अर्थ दण्ड का भागी होगा जो एक हजार रुपये से अधिक न होगा ।"

नयी धारा 8-क, 8-ख और 8-ग का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् ,—

अपराध संज्ञान

"8-क—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो नियत किया जाय, परिवाद न किया जाय ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

8-ख—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी और उसके साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी, कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज़ और ट्रेज़रार्स निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौन अनुमति से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट सेक्रेटरी, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है ।

8-क—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।"

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

10—मूल अधिनियम की धारा 9 निकाल दी जाय।

धारा 9 का निकाला जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

धारा 10 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"10—(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है,—

(क) रीति जिसके अनुसार तथा अवधि जिसके भीतर धारा 4 के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या उसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा;

(ख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखे जायेंगे और विवरण जो उनमें दिये जायेंगे;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, अवधि जिसके भीतर, और प्राधिकारी जिसे, धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नक्शे प्रस्तुत किये जायेंगे;

(घ) रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए एनर्जी की इकाइयां सुनिश्चित की जायेंगी,

(ङ) कर्त्तव्य जिनका पालन और अधिकार जिनका प्रयोग धारा 6 के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी करेंगे;

(च) प्राधिकारी जो धारा 4-ख की उपधारा (1) के अधीन देय शास्ति अवधारित करेगा और अवधि जिसके भीतर इसका भुगतान किया जायगा;

(छ) प्राधिकारी जिसे, अवधि जिसके भीतर, और शुल्क जिसके दिये जाने पर, धारा 4-ख की उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकेगी;

(ज) अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए परिवाद कर सकते हैं;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

12—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का अध्याय 3 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1970 के अध्याय 3 का निरसन

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—319 जनरल लेग०— 1971—1834+50 (मेक०)

Ch·3
135738

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1972*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 जनवरी, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 23 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) यह 1 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० 33, 1952 की धारा 3 में संशोधन

2—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द "चालीस पैसे" जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "पचास पैसे" रख दिये जायं।

*[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

Price 05 Paise.

No. 556(2)/XVII-V—1-1(KA)-10-1985

Dated Lucknow, April 4, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is npleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 3, 1985:

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. ACT NO. 11 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 1, 1984.

Amendment of section 3 of U.P. Act XXXIII of 1952.

2. In section 3 of the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* in the end, namely :

"Provided that such notification issued after October 1, 1984 but not later than March 31, 1985 may be made effective on or from a prior date not earlier than October 1, 1984."

(*b*) in sub-section (2),—

(i) *for* the words "twenty-five per cent" the words "thirty-five per cent" shall be *substituted*;

(ii) *for* the words "six paise" the words "eight paise" shall be *substituted*;

(*c*) in sub-section (5), clause (*b*) shall be *omitted*.

U. P. Ordinance No. 4 of 1985.

Repeal and saving.

3. (1) The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
RAJESHWAR SINGH,
Vishesh Sachiv.

177096

बी० एस० डब्लू० पी०—ए० पी० 1 सा० (विधा०)-(80)-1985-750 (मेक०)।

No. 1128(2)/XVII-V-1—1(KA)-35-1986

Dated Lucknow, July 29, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1987.

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1987

[U. P. Act No. 13 of 1987]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952

It is hereby enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 26, 1986.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. XXXIII of 1952

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2),—

(i) *for* the words "thirty-five per cent" the words "fifty per cent" shall be *substituted* ;

(ii) *for* the words "eight paise" the words "nine paise" shall be *substituted.*

Repeal and saving

3. The Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed. U. Ordi no. 1987

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

S. N. SAHAY,

Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 96 सा0 (विधा)-(1775)-1987-850 (मैक0)।